

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुझुनूं

पीठारीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

GCMS NO- 2025/166

प्रार्थना पत्र :- 88/2025

उपनवान - रामोतार पुत्र रेखाराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 7 चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार

अधिवक्ता प्रार्थी - रोशनलाल रौगी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरुरती अन्तर्गत धारा 136 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

निर्णय दिनांक 09.09.25

प्रार्थी के "खाता दुरुरती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड (रामोतार), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (रामोतार), आयकर विभाग का पैन कार्ड, इण्डियन ओवरसीज बैंक की पास बंक की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, साक्ष्य में सतीश कुमार पुत्र नाथाराम, रामनिवास पुत्र रेखाराम की शपथ पत्र तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./25/1417 दिनांक 10.08.2025 के साथ सलंग्न पटवारी हल्का राजोता की मौका फर्द रिपोर्ट में अंकित स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चिरानी पटवार मण्डल राजोता की जमाबंदी संवत् 2073-2076 के खाता सं. 93, 176, 183 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	चिरानी	जमाबंदी संवत् 2073-2076 के खाता सं. 93 के खसरा नम्बर 213,415 किता 2 कुल रकबा 1.57 है. खाता सं. 176 के खसरा नम्बर 399 रकबा 0.03 है., खाता संख्या 183 के खसरा नम्बर 400, 410, 412, 913/411 किता 4 कुल रकबा 2.19 है.	लीलाराम पुत्र रेखा	रामोतार उर्फ लीलाराम पुत्र रेखाराम



(मुकेश चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुझुनूं

क्रमांक :- राजस्व/2015/
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. रामोतार उर्फ लीलाराम पुत्र रेखाराम जाति गुर्जर निवासी वार्ड न. 7 चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुझुनूं।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुझुनूं